यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, बृज भूषण मणि त्रिपाठी एवं श्रीमती रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.06.2018 से 26.06.2018 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कलवंत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 2012-13 से 2016-17 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सम्पूर्ण जिला, पिथौरागढ़**

3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वाराअर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू करोड में)
2015-16	13.89
2016-17	16.68
2017-18	19.58

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+) `	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण जिला, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-**

राजस्व: माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह.....को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजनाकाचयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 ` 30.60 लाख रायल्टी की वसूली न किया जाना।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान सोप स्टोन खनिज के निकासी के सापेक्ष जमा रॉयल्टी से संबन्धित पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित पट्टाधारकों द्वारा निम्नानुसार कम रॉयल्टी जमा की गई थी:-

1- मै0 साहनी एंड कंपनी तोली को दिनांक 29/08/1988 से 28/08/2008 तक पट्टा स्वीकृत किया गया था। पट्टा धारक के द्वारा माह अप्रैल 2006 से अगस्त 2008 तक रॉयल्टी `14,81,142.00 देय था। जिसमें से `13,05,203.00 जमा किया गया था। शेष धनराशि `1,75,939.00 (1481142-1305203) अगस्त 2008 से जमा नहीं किया गया था। नियमानुसार इस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय है।

2- श्री ठाकुर सिंह डसीला को सोपस्टोन हेतु पट्टा दिनांक 30/12/2011 से 29/12/2031 तक के लिए स्वीकृत किया गया था। पट्टाधारक श्री डसीला द्वारा निकासी की गई सोपस्टोन की मात्रा के सापेक्ष नवंबर 2015 से जून 2016 तक `15,83,523 (`15,73,618 विभागानुसार) जमा नहीं किया गया है। नियमानुसार बकाया राजस्व पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज आरोपित कर वसूला जाना था।

3- श्री इन्द्र सिंह कार्की सोपस्टोन (खनिज) हेतु पट्टा 01/09/2011 से 31/08/2031 तक के लिए स्वीकृत था। पट्टाधारक द्वारा सोपस्टोन खनिज की निकासी मात्रा की रॉयल्टी `5308820 के सापेक्ष मात्र रॉयल्टी ` 5014110 जमा की गई है अर्थात `294710 (5308820-5014110) कम जमा की गई है, जिसपर नियमानुसार 24 प्रतिशत ब्याज भी देय है।

4- दान सिंह उर्फ चंद्र सिंह को सोपस्टोन (खनिज) हेतु शासनादेश संख्या 888/v-1/2014/202-ख/2009 दिनांक 27 मई,2014 को 20 वर्ष हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया था। पट्टाधारक के द्वारा नवम्बर 2014 से उत्पादन/ खनन कार्य आरंभ किया गया । पट्टाधारक के द्वारा नवंबर 2014 से मार्च 2018 तक कुल `10499383.00 मूल्य का सोपस्टोन की निकासी/ बिक्री की गई थी, के सापेक्ष अभिलेखानुसार पट्टाधारक के द्वारा कुल रॉयल्टी ` 9879729.00 ही जमा किया था। अर्थात ` 619654.00 (10499383-9879729) कम जमा किया गया था। कम जमा की गई थी, जिसपर नियमानुसार 24 प्रतिशत ब्याज भी देय है।

5- सोप स्टोन पट्टाधारक श्री भूपेन्द्र सिंह मेहरा (चौपाता) के द्वारा माह मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 तक के निकासी के सापेक्ष माह मार्च से दिसम्बर 2017 में मात्र रु 588507 लाख जमा किया गया था, जबकि उक्त अवधि में पट्टाधारक के द्वारा 1937.45 टन सोप स्टोन की निकासी/ बिक्री किया गया था, जिसका मूल्य ` 678108 (1937.45 x 350) बनता है अर्थात `89601 (678108-588507) आतिथि 6/2018 तक जमा नहीं किया गया है। नियमानुसार इस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज भी आरोपणीय है।

6- महिपाल सिंह पुत्र श्री दरबान सिंह डांगी को सोपस्टोन हेतु शासनादेश संख्या:1326/VII-1/2015/35/ख/2004,दिनांक 16 सितम्बर 2015 को 20 वर्ष की अवधि हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया था।पट्टाधारक द्वारा माह मई 2016 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया था।पट्टाधारक द्वारा माह मई 2016 से माह मार्च 2018 तक कुल मूल्य `18,48,965/- के सोपस्टोन की निकासी/बिक्री की गई थी जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा (अभिलेखानुसार) रॉयल्टी ` 15,51,766 जमा की गई थी जो कि ` 2,97,199(` 1848965 - ` 15,51,766) कम जमा की गई थी तथा नियमानुसार 24 प्रतिशत की दर से ब्याज़ भी देय है।

इस प्रकार कुल `30,60,626/- वसूला जाना शेष है।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में आकड़ों एवं तथ्यों कि पुष्टि करते हुये बताया कि जमा कर यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2-(ब)

प्रस्तर -02 अपरिहार्य वार्षिक भाटक ` 12.12 लाख न वसूला जाना।

(अ) सोप स्टोन पट्टाधारकों से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि पट्टाधारकों के द्वारा खनिज संक्रियाएँ न किए जाने पर नियमानुसार दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के नीतिनुसार वार्षिक अपरिहार्य भाटक वसूल किए जाने का प्रावधान है लेकिन विभाग के द्वारा निम्नलिखित पट्टाधारकों से वार्षिक अपरिहार्य भाटक की वसूली नहीं की गई है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	पट्टाधारक का नाम	पट्टा अवधि	भूमि हैक्टेयर में	रॉयल्टी जमा न किए जाने की अवधि	अपरिहार्य भाटक
1	श्रीमती देवकी देवी पाण्डे	25/09/13 से 31/03/30	12.94	वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2017-18	129400
2	बसंत सिंह सामंत	24/10/2000 से 23/10/2020	5.66	वर्ष 2015-16 से 2017-18	55800
3	हरीश चन्द्र जोशी	04/11/2000 से 03/11/2020	08.30	वर्ष 2017-2018	41500
4	मै0 डी0डी0 असोसियट्स	22/10/2003 से 21/10/2023	01.538	वर्ष 2016-17से 2017-18	15380
6	मै0 के0 एस0 सोपस्टोन्स	09/08/2007 से 8/08/2027	04.582	वर्ष 2013-14 से 2017-18	114550
7	श्री प्रदीप चंद जोशी	11/10/2007 से 10/10/2027	04.303	वर्ष 2017- 2018	21515
8	हरेन्द्र सिंह मेहरा	31/03/2009 से 30/03/2009	4.445	2013-14 एवं 2017-18	44450
9	मोहन चन्द्र शर्मा	13/04/2010 से 12/04/2030	04.89	वर्ष 2013-14 एवं 2017 -18	48900
10	इन्द्र सिंह कार्की	01/09/2011 से 31/08/2031	4.492	वर्ष 2012-13	22460
11	ठाकुर सिंह डसीला	30/12/2011 से 29/12/2031	4.321	वर्ष 2017-18	21605

कुल	589670

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सोपस्टोन पट्टाधारकों से वार्षिक अपरिहार्य भाटक की वसूली नहीं की गई है। इसे इंगित करने पर विभाग ने आकाढ़ों एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये यथाशीघ्र पत्राचार कर वसूले जाने का आश्वासन दिया।

(ब) उत्तराखण्ड शासन के औधौगिक विकास अनुभाग सं. 211/VII-I/24ख/2007 देहारादून दिनांक 26 फरवरी 2016 से डेड रेन्ट की दर ` 80000/-प्रति एकड प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी थी। इससे पूर्व डेड रेन्ट की दर ` 40000/-प्रति एकड़ निर्धारित थी।

1- शासनादेश संख्या 1893/VII-1/142-ख/2013 दिनाँक 17 अक्तूवर,2013 के संस्तुति के तारतम्य में कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक-ज्ञाप/तीस-21(2010-11) दिनाँक नवम्बर 19, 2013 के द्वारा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम भनोलीसेरा में कुल रकवा 0.320 है0 भूमि में उपखनिज बालू, बजरी बोल्डर चुगान हेतु 05 वर्ष हेतु कतिपय शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- शासनादेश संख्या 1892/VII-1/140-ख/2013 दिनाँक 17 अक्तूवर, 2013 के संस्तुति के तारतम्य में कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक-ज्ञाप/तीस-21(2010-11) दिनाँक नवम्बर 19, 2013 के द्वारा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सेरा में कुल रकवा 0.20 है0 भूमि में उपखनिज बालू, बजरी बोल्डर चुगान हेतु 05 वर्ष हेतु कतिपय शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उल्लिखित जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के स्वीकृति पत्र के बिन्दु 6 के शर्तानुसार स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबंधन/ पिलरबंदी नियम-17 के अनुसार खनन विभाग के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा 11/11/2013 को ` 5000/- सीमांकन शुल्क जमा किया गया था। इसके सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु आदेश 19/11/2013 को जारी किया था, जिसके अनुपालन में जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ़ के द्वारा सीमांकन कर दिनाँक 11.01.2016 को सीमांकन आख्या प्रस्तुत किया गया था। अर्थात पट्टा स्वीकृति

के दो वर्ष से अधिक समय पश्चात सीमांकन कराये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई है। जो इस प्रकार है:-

क्र म सं	पट्टा क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	डेड रेन्ट की दर प्रति एकड	डेड रेन्ट की अवधि	डेड रेन्ट की गणना	डेड रेन्ट की धनराशि
1.	ग्राम भनोलीसेरा तहसील गंगोलीहाट	0.320 हेक्टेयर =0.790 एकड	40000	11/2013 से 02/2016 तक	0.790x40000x2	63200/-
2.	ग्राम सेरा तहसील गंगोलीहाट	0.20 हेक्टेयर =0.494 एकड़	40000	11/2013 से 02/2016 तक	0.494x40000x02	39520/-
					योग	**102720**

आगे यह भी देखा गया कि उक्त दोनों क्षेत्रों का मार्च 2016 में सीमांकन करने के पश्चात मार्च 2016 से रायल्टी क्रमश: ` 3,20,000/- एवं ` 2,00,000/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। किन्तु उक्त दोनों खनन पट्टा ग्राहिता द्वारा निम्नानुसार रायल्टी जमा नहीं की गयी थी।

	पट्टा क्षेत्र का नाम	क्षैत्रफल (हे0 में)	रॉयल्टी की दर (वार्षिक)	रॉयल्टी की अवधि	रॉयल्टी की गणना	जमा रॉयल्टी की धनराशि	रोयल्टी की धनराशि
	ग्राम भनोलीसेरा तहसील गंगोलीहाट	.320	320000/-	21 माह (3/16 से 3/18)	560000/-	44000/-	416000/-
	ग्राम सेरा तहसील गंगोलीहाट	.200	200000/-	21 माह (3/16 से 3/18	350000/-	45997/-	104003/-

						योग	**520003/-**

उपरोक्तानुसार कुमाऊँ मण्डल विकास निगम से ` 622723 (102720+520003) वसूली किया जाना था जो विभाग द्वारा वसूली नहीं की गयी थी। इसे इंगित करने पर विभाग ने आँकड़ो एवं तथ्यों कि पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि प्रश्नगत धनराशि जमा कराने कि कार्यवाही कराते हुये सूचित कराया जाएगा।

अतः ` 12.12 लाख वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2-(अ)

प्रस्तर -01 निर्माण कार्यों में अवैध उपखनिज के प्रयोग पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 34.94 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ` 5000/- व चुगान पट्टे हेतु ` 100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखो की जांच में पाया कि उक्त लिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि उक्तलिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ` **8,73,43,442.00** जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गया था जिससे राजस्व की हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/पट्टा के उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान था। जिस पर खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण सरकार को रु. 34,93,73,768.00 (87343442x5 = 436717210 -87343442) की हानि हुई।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अत: ` 34.94 करोड़ की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2-(अ)

प्रस्तर 02: जिला खनिज न्यास में ` 2.09 करोड़ जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16, दिनांक 17 नवंबर, 2017 उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2) 5 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फ़ौण्डेसन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रबृत हुई समझी जाएगी। -

कार्यालय जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा किए गए रॉयल्टी का विवरण मांगा गया जिसमे से 15 इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुसार कुल रॉयल्टी ` 87343442.00 सीधे जमा की गई थी, का 25 प्रतिशत धनराशि 21835861.00 (87343442 x 25%) जमा किया जाना था, जिसमें से मात्र दो इकाइयों द्वारा ` 894858.00 ही जमा किया गया था, अर्थात शेष 13 इकाईयों ने ` 2,09,41,003.00 (2,18,35,861-8,94,858) आतिथि जून, 2018 तक जमा नहीं किया गया है (विवरण संलग्न)। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में आँकड़ो एवं तथ्यों की पुष्टि करते हुये धनराशि वसूल कर जमा करने का आश्वासन दिया।

अतः जिला खनिज न्यास में ` 2.09 करोड़ जमा न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

जिला पिथौरागढ़ के निर्माण इकाइयों द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना अनुज्ञा पत्र/पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि एवं जिला खनिज न्यास में धनराशि जमा का विवरण

क्रम सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जिला खनिज न्यास में जमा की गई धनराशि का विवरण (25% रॉयल्टी का)
1	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, पिथौरागढ़	1158164.00	-
2	अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, धारचूला	4811358.00	-
3	अधिशासी अभियंता,प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, डिडिहाट	6780309.00	-
4	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, अस्कोट	8976314.00	-
5	अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, डिडिहाट	304744.00	-
6	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, पिथौरागढ़	14004836.00	-
7	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड वेरीनाग, पिथौरागढ़	15512839.00	-
8	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अवियंत्रण सेवा, डीडीहट	2405749.00	-
9	अधिशासी अभियंता, पेजल निर्माण निगम, पिथौरागढ़	-	-
10	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, पिथौरागढ़	1099188.00	-
11	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक खंड पिथौरागढ़	1852395.00	-

12	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोहाघाट (पिथौरागढ़ हेतु)	2419517.00	-
13	अधिशासी अभियंता, PMGSY खणड, पिथौरागढ़	13637268.00	-
14	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, धारचूला	-	-
15	कमान अधिकारी, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ)	4630958.00	567840.00
16	अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, अस्कोट	3750990.00	-
17	अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, मुंस्यारी, पिथौरागढ़	5998813.00	327018.00
18	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए, पिथौरागढ़	-	-
19	परियोजना प्रबन्धक,(का),व्रिडकुल,पिथौरागढ़	-	-
	योग	**87343442**	**894858**

भाग 2-(ब)

प्रस्तर 3: नीतिनुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ` 7.50 लाख अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

उत्तराखंड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, हांट मिक्स प्लांट रेडीमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत मै0 दलीप सिंह अधिकारी एवं मै0 सीमा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को क्रमशः 01 वर्ष एवं 30 जून, 2018 या कार्य पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए हांट मिक्स प्लांट कतिपय शर्तो के साथ जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2017 एवं 30 नवम्बर, 2017 अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त के संबंध में कार्यालय जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया कि उक्तलिखित दोनों स्टोन क्रेशर संचालको के द्वारा नवम्बर, 2017 एवं दिसम्बर, 2017 से लेखा परीक्षा अवधि जून 2018 तक मासिक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, और न ही संचालकों के द्वारा नीतिनुसार कच्चा माल/पक्का माल के प्लांट में उपयोग की गई मात्रा पर 01 रुपया प्रति कुंटल की दर से निर्धारित लेखाशीर्षक में पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में धनराशि भी जमा नहीं की गयी।

उत्तराखंड शासन, संख्या 1873 /VVI-1/16/158-ख/04टीसी के संशोधित नियम 13(2)(ड़) के अनुसार मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर प्रतिमाह ` 50000/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था। लेकिन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया।

उक्तानुसार क्रमशः 08 और 07 कुल 15 माह x 50000=7,50,000/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया जाना अपेक्षित था।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और धनराशि वसूल कर जमा किया जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-4: पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क न वसूला जाना ` 69645 |

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या/1758/ VII-1/16/68- रिट/08देहरादून : दिनांक 19 नवम्बर 2016 के उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा निति, 2016 के नियम 5(क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रस्ड मेटेरियल की मात्रा पर ` 1.00 प्रति कुंतल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को छाने गए उपखनिज की मात्रा पर ` 0.25 प्रति कुंतल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्ष-0853 अलौह धातु कर्म, एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा|

कार्यालय जिला खान अधिकारी पिथौरागढ़ के स्टोन क्रेशर संचालकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ,मै0 कमल जियोटेक सर्विसेज, ग्राम बालाकोट तहसील व जनपद पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 9973.5 टन (99735 कुंतल) तथा मै0संतुष्टि स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री कृष्णबहादुर मल्ल ग्रामदौली तहसील पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 26145 टन(261450 कुंतल) मेटेरियल क्रश किया गया । जिस पर नियमानुसार कुल धनराशि ` 361190/- ( 99735+261455) पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ` 291545 (50000+241545) पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया गया, अतः कुल धनराशि ` 69645/- (361190-291545) पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क नहीं जमा किया गया जिसका विवरण निम्न है:

क्र.स.	स्टोनक्रेशर/ मोबाइल स्टोन क्रेशर	2017-18 में क्रश कुल मेटेरियल	देय पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क	प्राप्त पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क	शेष धनराशि
1	मै0 कमल जियोटेक सर्विसेज, ग्राम बालाकोट तहसील व	9973.5 टन =	रू99735	रू50000	रू49735

	जनपद पिथौरागढ़	99735 कुंतल			
2	मै0 संतुष्टि स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री कृष्णबहादुर मल्ल ग्रामदौली तहसील पिथौरागढ़	26145.5 टन = 261455 कुंतल	रू261455	रू241545	रू19910
कुल		361190 कुंतल	रू 361190	रू 291545	रू 69645

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ईकाई द्वारा कहा गया कि जांचोपरान्त पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा करा दिया जायेगा |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
राजस्व DMO-148/2017-18	01, 02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएः शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रदीप कुमार	उपनिदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़** को

इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व